फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

पांची देवी बनाम सरकार

ख्या : 104 / 2018

ांक ज्ञा या र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 10 / 166 रकबा 10 बीघा भूमि वाकै ग्राम नेकावाला, पटवार हल्का बोबाडी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जो तरमीम शुदा खातेदारी राजस्व नक्शें में दर्ज रही है। गत खसरा नम्बर 10 / 166 रकबा 10 बीघा भूमि में प्रार्थीया ने कुआ निर्मित करवाया था जो राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 10 / 166 में भी कुये की तरमीम कुआ स्थित जगह पर नक्शें में अंकित कर दी गयी थी। किन्तु उसके नम्बर नही डले थे, सम्पूर्ण रकबा का खसरा नम्बर 10 / 166 तरमीम शुदा था जिसमे ही कुये की जगह नक्शे में कुये को दर्शित किया गया। हाल सैटलमेंट के दरमियान गत खसरा नम्बर 10 / 166 के हाल खसरा नम्बर परिवर्तित करते समय पूर्व से दर्शित हुये के हाल खसरा नम्बर 48 रकबा 0.0100है0 गै0मु0चाह व खसरा नम्बर 49 रकबा 2.5200है0 कायम किये। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 10 / 166 के हाल खसरा नम्बर 48 व 49 कायम किये गये। खसरा नम्बर 48 गै0मु0चाह के नम्बर है। जिसकी तरमीम पूर्व खसरा नम्बर 10 / 166 में दर्शित स्थान की जगह नही की गयी और पश्चिम सीमा के लगवा कुआ की तरमीम दर्शित कर दी गयी जो पूर्व नक्शा तरमीम की गयी है जो दुरूस्तनीय है। अतः हाल खसरा नम्बर 48 की तरमीम गत खसरा नम्बर 10 / 166 के नक्शें में कुये का चिन्हित स्थान जिसको लाल रंग से दर्शित किया है कि जगह हाल नक्शा हाल खसरा नम्बर 48 की नक्शा तरमीम कर नक्शा दुरूस्त किया जावें। पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी ग्राम नेकावाला के खसरा नम्बर 48 रकबा 0.01है0 किस्म गै0मु0चाह पांची पत्नि बालू राम हि0 पूर्ण जाति मीना सा0सालडवास तह0 आमेर राहिन कॉपरेशन बैक शाखा चन्दवाजी खातेदार दर्ज है। मुताबिक हाल सैटलमेंट के मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 48 रकबा 0.01है0 साबिक खसरा नम्बर 10 / 166 मि0 रकबा 2.52है0 व हाल खसरा नम्बर 49 साबिक खसरा नम्बर 10 / 166 रकबा 2.5200है0 दर्ज हुये है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नक्शाशीट मे खसरा नम्बर 48 रकबा 0.01है0 किस्म चाह तरमीम शुदा है। ग्राम नेकावाला का हाल सैटलमेंट से पूर्व साबिक नक्शा उपलब्ध नही है। अतः वर्तमान व साबिक नक्शें का मिलाननही हो सकता। अतः साबिक नक्शें में खसरा नम्बर 10 / 166 की तरमीम के संबंध में रिपोर्ट नही की जा सकती है। ग्राम नेकावाला का हाल सैटलमेंट से पूर्व साबिक नक्शा शीट उपलब्ध नही हैं एवं वर्तमान नक्शा शीट में नक्शा मौका में भिन्नता होने के कारण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर को पूर्व में पत्र लिखा जा चुका है। अतः हाल व साबिक नक्शें का मिलान नही होने के कारण नक्शा दुरूस्ती के संबंध मे रिपोर्ट नही की जा सकती है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं जवाब पैरोकार सरकार तथा अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि पैरोकार सरकार (तहसीलदार) ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्राम नेकावाला का हाल सैटलमेंट से पूर्व साबिक नक्शा शीट उपलब्ध नही हैं एवं वर्तमान नक्शा शीट में नक्शा मौका में	

भिन्नता होने के कारण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर को पूर्व में पत्र लिखा जा चुका है। अतः हाल व साबिक नक्शें का मिलान नही होने के कारण नक्शा दुरुस्त नही किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

भिन्नता होने के कारण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर को पूर्व में पत्र लिखा जा चुका है। अतः हाल व साबिक नक्शें का मिलान नही होने के कारण नक्शा दुरूस्त नही किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।